

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -199/2014/भीलवाड़ा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त- तृतीय प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स अक्शा इंजिनियरिंग वर्क्स, बीगोद, जिला-भीलवाड़ा

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के. अजमेरा

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ.पी. दौसाया

अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 21.11.2016

निर्णय


1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 93/वैट/13-14 जोकि अन्तर्गत धारा 82 RVAT Act., 2003 R/w 84 राजस्थान बिक्री अधिनियम, 1994 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 22.11.2013 के विरुद्ध पेश की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'सशक्त अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 23.08.2013 को मैसर्स पार्श्वनाथ ट्रेवल ऐजेंसी के गोदाम की जांच पर अधिसूचित माल मोटर-पार्ट्स के 60 बंडल को बिना वांछित घोषणा प्रपत्र वैट 47 से परिवहनित होना पाया जाने पर करापवंचना के संदेह में रोका गया तथा सशक्त अधिकारी के आदेश दिनांक 10.09.2013 द्वारा हाईड्रोलिक जैक को Parts of Automobile & Tractors मानते हुये वैट-47 के अभाव में 45,600/- रुपये की शास्ति तथा 22,800/- रुपये कर कुल मांग राशि 68,400/- अधिरोपित की गई। जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा के समक्ष अपील संख्या 93/वैट/ 13-14 प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.11.2013 द्वारा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि सशक्त अधिकारी द्वारा मैसर्स पार्श्वनाथ ट्रेवल ऐजेंसी के गोदाम की जांच

लगातार.....2

aw:411w/
21/11/16

कर, मोटर पार्टस के 60 बंडल को बिना वांछित घोषणा प्रपत्र वैट 47 के परिवहनित होना पाया गया। उक्त माल हाईड्रोलिक जैक Parts of Automobile & Tractors की श्रेणी में आने से ये अधिसूचित वस्तु की श्रेणी में आते है। अतः उक्त नियम 53 के तहत परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट-47 होना आवश्यक है। चैंकिंग परिवहनित माल के साथ वैट-47 घोषणा प्रपत्र नहीं होना अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 का उल्लंघन है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया।

4. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जांच में प्रस्तुत किये गये बिल, बिल्टी तथा अन्य सभी मूल प्रपत्रों तथा जांच कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वैट-47 प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण व्यवहारी का दोषी मनोभाव प्रकट न होने से इसे करापवंचन न मानते हुये अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी का यह निर्णय अविधिक व तथ्यों पर आधारित न होने से अपास्त किये जाने योग्य है। राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का आग्रह किया गया है।
5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हाइड्रोलिक जैक को अधिसूचित वस्तु "पार्टस आफ ऑटोमोबाईल एंड ट्रेक्टर" मानते हुये घोषणा प्रपत्र के अभाव में शास्ति का आरोपण किया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 3 टन व 5 टन क्षमता वाला हाईड्रोलिक जैक क्रय किया गया था, जो कि पंचर की दुकान पर ट्रक, ट्रेक्टर, बस व अन्य वाहनों के पंचर होने पर टायर खोलने के काम आता है तथा यह वस्तु अधिसूचित वस्तु की श्रेणी में नहीं आती। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का आगे कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा संदेह के आधार पर उक्त क्रय किये गये माल को अधिसूचित वस्तु मानते हुये शास्ति का आरोपण किया गया, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के सिविल सेल्स टैक्स रिविजन पिटीशन संख्या 544 / 2006 एसीटीओ बनाम अग्रवाल प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज निर्णय दिनांक 17.11.2011 का उद्धरण पेश किया गया तथा अग्रिम कथन किया गया है कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिक होने से इसे यथावत रखा जाये।


21/11/16

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये:-

1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय Hindustan Transmission Products Ltd. V/s State Of Kerala (Civil Appeal No 309 to 313 of 1991) Dt. 10-09-1997 के अन्तर्गत Component Parts को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार :-


"Component Parts" means an article which form an identifiable constituent of any finished product which along with other goes to make up separable by a mechanical process and not by a chemical process, provided the identify of such article is not lost by separation.

2. माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय Commissioner of sale tax U.P. V/s Punjab Gramophone House Dated : 08-08-1978, 48 एस. टी.सी. 141 में भी Component Parts को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार :-

"Observed that one of the simple tests which could be applied to determine whether a particular part was a component part of the machine was to see whether in case the machine was disassembled, the part in question would be one of the parts found on disassembly."

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित बताते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।


7. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत माल AutoMoboile Parts है या नहीं, यह उक्त प्रकरण में सुसंगत नहीं है क्योंकि Vat-47 पेश नहीं करने पर धारा 76(6) के तहत अधिरोपित की गयी है। प्रश्नगत माल के साथ संलग्न अन्य आवश्यक दस्तावेजों में बिल/बिल्टी, वैट-47 तथा माल भाड़ा आदि सभी दस्तावेजात की पूर्तियां पूर्ण होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। जहां तक घोषण प्रपत्र वैट-47 का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी का यह कथन रहा है कि हाईड्रोलिक जैक Parts of Automobile & Tractors की श्रेणी में नहीं आते हैं इस लिये उसके द्वारा वैट-47 साथ में पेश नहीं किया गया था। लेकिन नोटिस के जवाब के साथ पेश कर दिया गया था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत (2001) 124 एस.टी.सी. 611 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम डी.पी. मैटल्स में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-


21/11/16

"..... Once the ingredients of section 78(5) are established, after giving a hearing and complying with the principles of natural justice, there is no discretion not to levy or levy lesser amount of penalty. If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking principles of natural justice may require some opportunity being given to produce the same."

उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में जांच दिनांक 06.09.2013 को की गई थी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 09.09.2013 को नोटिस^{के} जवाब के साथ वेट-47 प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार जांच के समय वेट-47 प्रत्यर्थी के पास उपलब्ध था किन्तु व्यवहारी ने प्रश्नगत माल अधिसूचित वस्तु की श्रेणी में आने का मानकर इसे जांच के समय प्रस्तुत नहीं किया। यद्यपि जवाब के साथ प्रस्तुत कर दिया गया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का प्रश्नगत माल को विभाग से छुपाने का कोई आशय नहीं था। इस प्रकार न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी. पी. मैटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2013 विधिसम्मत एवं उचित है। अतः अपीलीय अधिकारी ने आपने आदेश दिनांक 22.11.2013 द्वारा सशक्त अधिकारी के आदेश दिनांक 10.09.2013 को अपास्त करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है। इस लिये अपीलीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश दिनांक 22.11.2013 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

8. परिणामस्वरूप उक्त अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 22.11.2013 की पुष्टि कर उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत वर्तमान अपील को अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य